

संशोधित आदेश

तत्काल
तिथिबद्ध

क्रमांक: 46/5/2000-5पोल0
हरियाणा सरकार
मुख्य सचिव कार्यालय
राजनैतिक एवं संसदीय कार्य विभाग

दिनांक चंडीगढ़, 14 अगस्त, 2024

सेवा में,

1. आयुक्त गुरुग्राम मण्डल
2. उपायुक्त सोनीपत
3. उपायुक्त रेवाड़ी
4. उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) गन्नौर

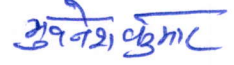
विषय:-

15 अगस्त, 2024 को 'स्वतन्त्रता दिवस' समारोह पर ध्वजारोहण करने बारे ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 7 अगस्त, 2024 व 13 अगस्त, 2024 की निरन्तरता में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि जिला मुख्यालय रेवाड़ी में श्री सत्यप्रकाश जरावता, विधायक के स्थान पर आयुक्त गुरुग्राम व गन्नौर उपमण्डल में श्रीमति सुमित्रा चौहान, चैयरपर्सन हरियाणा समाज कल्याण बोर्ड के स्थान पर श्री मोहन लाल बडौली, विधायक राई, 15 अगस्त, 2024 को 'स्वतन्त्रता दिवस' समारोह पर ध्वजारोहण करेंगे।

भवदीय



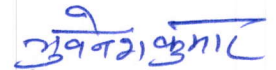
अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार

पृ0 क्रमांक 46/5/2000-5पोल0

दिनांक चण्डीगढ़ 14 अगस्त, 2024.

एक-एक प्रति माननीय मुख्य मंत्री/माननीय मुख्य मंत्री के मुख्य प्रधान सचिव/प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव/अतिरिक्त प्रधान सचिव-II/विशेष कार्य अधिकारी (विवेक कालिया)/विशेष कार्य अधिकारी (विरेन्द्र सिंह)/विशेष कार्य अधिकारी (सुधांशु गौतम)/विशेष कार्य अधिकारी (संजय बटला)/सलाहकार, आर0म0/मुख्यमंत्री कार्यालय/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष हरियाणा विधान सभा/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के मुख्य स्टाफ अधिकारी/विशेष वरिष्ठ सचिव/वरिष्ठ सचिवों/सचिवों/निजी सचिवों को सूचनार्थ भेजी जाती है।



अधीक्षक राजनैतिक

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार